

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

उपक्र 5855/2019/21-ब(एक)

भोपाल, दिनांक 8-11-2019

से

महोदय
महोदय
महोदय

विषय - Permission for drawl of salary of surplus secretary to judges from the vacant post of administrative officers.

संदर्भ - उपक्र 5855/2019/21-ब(एक) दिनांक 21-10-19

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निम्नानुसार अभिमत दिया गया है :-

"विभागीय प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में लेख है कि जब 97 प्रायवेट सेक्रेटरी कार्यरत थे जब ऐसी स्थिति में प्रायवेट सेक्रेटरी के स्वीकृत 34 पदों का समर्पण प्रशासकीय विभाग द्वारा क्यो किया गया। विभाग को पूर्व से कार्यरत 20 प्रायवेट सेक्रेटरी का वेतन आहरण एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (ज्यूडीशियल) के समकक्ष रिक्त पदों के विरूद्ध कराने की सहमति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (ज्यूडीशियल) के उक्त रिक्त 20 पदों को स्थगन में रखा जाएगा एवं इन पदों पर कोई भर्ती/ पदोन्नति नहीं की जाएगी।"

(रूपम वेदी)

अतिरिक्त सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

NOV 2019
Reg. (A)

NOV 2019
Asstt. Reg. (B)

SO (RR)

13-11-19

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यापीठ जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक C 4884 /

जबलपुर दिनांक 20 11/2019

प्रतिलिपि -

1. रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
 2. चैतन्य जनेश्वर अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
 3. आर्युज्ज्वल कश्यप लेखा भोपाल
 4. ईश्वर जनेश्वर एकात्मक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
 5. अमिताभ रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय मध्य जबलपुर
 6. इमिनेन्सिटी ट्रेड ऑफिसर (ए) लेखा बजट, पेशवा उच्च न्यायालय मध्य जबलपुर
 7. जयशंकर अधिकारी आर्युज्ज्वल कश्यप लेखा जबलपुर, ईश्वर जनेश्वर
 8. महेश्वर मध्यप्रदेश वनसंपन्न, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
- की उक्त सूचनाओं में आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न - न्यायदंड शाखा के विधि और विभाग कार्य विभाग भोपाल को पत्र
क्र. 5855/2019/21-व.ए.क। भोपाल दि. 08.11.2019 की
प्रतिलिपि

प्रियदर्शन शर्मा,
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

C/